कार्यालय, नगर पालिक निगम, उज्जैन

क्रमांक : स.क./2023/207 उज्जैन, दिनांक : 18-04-2023

//जाहिर सूचना//

एतदद्वारा सूचित किया जाता है कि नगर पालिक निगम, उज्जैन द्वारा अधिकृत अखिल भारतीय स्थानीय शासन संस्थान, भोपाल (All India Institute of Local Self Government, Bhopal) द्वारा जी.आई.एस. पद्धति के माध्यम से वार्ड क्रमांक 05 एवं 15 (झोन क्र. 01), वार्ड क्रमांक 14 एवं 20 (झोन क्र. 02), वार्ड क्रमांक 23 एवं 24 (झोन क्र. 03), वार्ड क्रमांक 37 (झोन क्र. 05) एवं वार्ड क्रमांक 18 (झोन क्र. 05) का सर्वेक्षण पूर्ण किया जा चुका है। उक्त सर्वेक्षण में कुछ सम्पत्तियों के क्षेत्रफल में अंतर पाया गया है।

वार्ड क्रमांक 05 एवं 15 (झोन क्र. 01), वार्ड क्रमांक 14 एवं 20 (झोन क्र. 02), वार्ड क्रमांक 23 एवं 24 (झोन क्र. 03), वार्ड क्रमांक 37 (झोन क्र. 05) एवं वार्ड क्रमांक 18 (झोन क्र. 05) के सम्पत्तिकरदाताओं/नागरिकों/भवन-भूखण्ड स्वामियों को सूचित किया जाता है कि सर्वेक्षण उपरांत जारी की गई सूची सम्बन्धित झोनों में अवलोकनार्थ उपलब्ध है। इस सूची में अंकित किसी तथ्य से यदि कोई आपत्ति हो तो सूचना प्रकाशन के 15 दिवस के भीतर सम्बन्धित झोन की सम्पत्तिकर शाखा में सम्पर्क कर अपनी आपत्ति मय दस्तावेज, नक्शा इत्यादि सहित लिखित रूप से प्रस्तुत करें। समय-सीमा के उपरांत प्राप्त आपत्तियों पर विचार नहीं किया जाकर सूची को अंतिम रूप से ई-नगर पोर्टल पर अपडेट कर दिया जावेगा।

अतः सर्वसंबंधितों को सूचित हो।

(आज्ञा से आयुक्त नगर पालिक निगम उज्जैन)

(आदित्य नागर)
अपर आयुक्त (सम्पत्तिकर)
नगर पालिक निगम, उज्जैन

कार्यालय, नगर पालिक निगम, उज्जैन

क्रमांक : स.क./2023/205 उज्जैन, दिनांक : 18-04-23

//जाहिर सूचना//

एतदद्वारा सूचित किया जाता है कि नगर पालिक निगम, उज्जैन द्वारा अखिल भारतीय स्थानीय शासन संस्थान, भोपाल (All India Institute of Local Self Government, Bhopal) को जी.आई.एस. पद्धति के माध्यम से सम्पत्ति के सर्वेक्षण हेतु अधिकृत किया गया है। उक्त संस्था द्वारा वार्ड क्रमांक- 30 एवं 31 का जी.आई.एस. पद्धति के माध्यम से सम्पत्ति का एम.पी.एच.एस. सर्वेक्षण कार्य किया जा रहा है।

अतः आम नागरिको से अनुरोध है कि उपरोक्त सर्वेक्षण कार्य में सर्वेक्षण दल एवं सम्बन्धित झोन कार्यालय के अधिकारी/कर्मचारियों को पूर्ण रूप से सहयोग प्रदान करें, अन्यथा की स्थिति में शासकीय कार्य में बाधा पहुँचाने की स्थिति में सम्बन्धित भवन/भू स्वामि के विरूद्ध मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 की धारा 437 के प्रावधान के तहत नियमानुसार दाण्डिक कार्यवाही की जावेगी, जिसका समस्त उत्तरदायित्व सम्बन्धित का होगा।

अतः सर्वसंबंधितों को सूचित हो।

(आदित्य नागर)
अपर आयुक्त (सम्पत्तिकर)
नगर पालिक निगम, उज्जैन